16/5/13 पत्रावली पेश हुयी। वादी व उनका वकील अनु०। नकल २३।९।१५
लगायी गयी। बाद अवश हाजरी [illegible] पत्रावली में शामिल
किया जा चुका है। प्रार्थनापत्र 212 R.T. Act के चलने का
कोई औचित्य नहीं। प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुदा के मूल वाद के साथ संलग्न रहे।